इटावा पुलिस

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक09.04.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते धोखा धडी करने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 10,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते धोखा धडी करने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 10,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी पूनम भारती पत्नी राजेश कुमार गौतम निवासी छिछारे हलधरपुर जनपद मऊ द्वारा थाना बकेवर पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर बीस लाख रुपये ले लेने व वापस न करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गयी, सूचना पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 447/2022 धारा 420/467/468/447 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक सियाराम गौतम द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त वशिष्ठ तिवारी पुत्र मारकण्डेय तिवारी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एपीओ श्री संजय सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 09.04.2024 को अन्तर्गत धारा 420/467/468/447 भादवि में मा0 न्यायालय ए सीजेएम-IV जनपद इटावा द्वारा 02 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 10,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **वशिष्ठ तिवारी पुत्र मारकण्डेय तिवारी निवासी कुसम्हाँ लेहनी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर।**